

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिषद
की धारा 4 (1) के अन्तर्गत ~~विषय~~ निर्देशिका (मैनुअल)
(माह मई, 2012 तक अद्यतन)



राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

विषय – सूची

अध्याय संख्या	मैनुअल संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.		प्रस्तावना	
2.	एक	संगठन की विशिष्टयां, कृत्य एवं कर्तव्य	
3.	दो	अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शक्तियां एवं कर्तव्य	
4.	तीन	कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	
5.	चार	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण	
6.	पांच	लोक अधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों (Categories) के अनुसार विवरण	
7.	छः	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण	
8.	सात	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां	
9.	आठ	निर्णय लेने की प्रक्रिया	
10.	नौ	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	
11.	दस	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति	
12.	ग्यारह	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय, प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)	
13.	बारह	अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति	
14.	तेरह	रियायतों, अनुज्ञा-पत्रों तथा प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण	
15.	चौदह	कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक/नियम	
16.	पन्द्रह	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं	
17.	सोलह	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	
18.	सत्रह	अन्य उपयोगी जानकारियां	

राजरस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

अध्याय-1

प्रस्तावना

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

अध्याय -1 प्रस्तावना

1.1 कृपया हस्तपुस्तिका की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)	:	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुपालना में परिषद के कार्यकलाप जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की जन साधारण को जानकारी उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से हस्तपुस्तिका को परिषद द्वारा तैयार किये जाने का यह प्रयास है। इस हस्तपुस्तिका में परिषद एवं इससे सम्बद्ध अधिकारियों/संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य एवं कर्तव्य, निगम में निर्णय लेने की प्रक्रिया परिषद अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थापित मानक/नियम के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण व अन्य उपयोगी जानकारियों को भी समादेशित करने का प्रयास किया गया है।
1.2 हस्तपुस्तिका का उद्देश्य	:	हस्तपुस्तिका का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रबंध एवं निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य जन साधारण को सीधे ही विभागीय जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराना है।
1.3 यह हस्तपुस्तिका का किन व्यक्तियों/संस्थानों/ संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है।	:	यह हस्तपुस्तिका समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय सदस्यों एवं जन साधारण के लिए उपयोगी है।
1.4 हस्तपुस्तिका का प्रारूप	:	हस्तपुस्तिका सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
1.5 परिभाषाएं (कृपया हस्तपुस्तिका में प्रयोग करी गई शब्दावली को परिभाषित करें।)	:	<ol style="list-style-type: none">1. "सूचना के अधिकार" का तात्पर्य सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 से है।2. "परिषद" का तात्पर्य राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से है।3. "सूचना अधिकारी" का तात्पर्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी से है।

		<p>4. "विभागीय अपील अधिकारी" से तात्पर्य सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव से है।</p> <p>5. "लोक प्राधिकरण" से तात्पर्य राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद से है।</p>
1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति।	:	परिषद के लोक सूचना अधिकारी।
1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क।	:	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

राजरस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

अध्याय-2 (मैनुअल-1)

संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य एवं कर्तव्य

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

अध्याय - 2

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकारी के उद्देश्य।	:	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न स्थानों पर खेलों का विकास करना एवं खेल संबंधी राजकीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन।	:	राज्य में खेलों के विकास की व्यवस्था करना। इस प्रकार के समस्त प्रयास करना जिससे प्रदेश में खेलों का माहौल विकसित हो सके एवं खिलाड़ियों को उनकी क्षमता प्रदर्शन के समस्त अवसर प्राप्त हो सकें। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से राजस्थान खेलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सके।
2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग।	:	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जो प्रदेश में युवा मामले एवं खेल विभाग के नियंत्रण में राज्य में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था है। स्थापना के पश्चात क्रीडा परिषद ने विगत 55 वर्षों के इतिहास में राज्य के खेलों के विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है।
2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य।	:	परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न स्थापनों पर वैज्ञानिक पद्धति से खेल का विकास करना है जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण खेलों के इन्फ्राटेचर का निर्माण एवं खिलाड़ियों को सुविधा उपलब्ध कराना हैं।
2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य।	:	राज्य में खेलों का विकास। राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करना। सघन प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय एवं जनजाति प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना। खेल छात्रावासों एवं अकादमियों का संचालन करना। राजकीय कार्यक्रमों का निष्पादन करना। खेलों से संबंधित अन्य सभी कार्य करना।

2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण।	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना। 2. खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता। 3. खेल संघों को सहयोग। 4. खेलों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करना। 5. समय-समय पर आवश्यकतानुरूप खेलों से संबंधित समस्त कार्य करना।
2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा ((जहां लागू हो)।	:	परिषद के संरक्षक (PATRON) राज्य के राज्यपाल हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भी परिषद के उप संरक्षक हैं। परिषद के मुख्यकार्यकारी इसके अध्यक्ष होते हैं।
2.8 लोक प्राधिकरण को कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग को अपेक्षाएं।	:	खिलाड़ियों को खेलों में अधिकाधिक रुचि लेने हेतु प्रोत्साहित करना तदनुसार उन्हें सुविधायें उपलब्ध कराना।
2.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था।	:	खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके लिए अपेक्षित सुविधाओं का संधारण एवं तत्संबंधी जनसहयोग हेतु परिषद तत्पर है।
2.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था।	:	प्राप्त शिकायतों/सूचना पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही।
2.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	:	परिषद का मुख्यालय का पता, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर- 302005 है। राज्य में स्थित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों के पते संलग्न सूची के अनुसार संलग्न क्रमांक (2.11)।
2.12 कार्यालय के खुलने का समय	:	प्रातः 9.30 बजे।
कार्यालय के बन्द होने का समय	:	सायं 6.00 बजे।

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

अध्यक्ष



सचिव

वरिष्ठ लेखाधिकारी

खेल अधिकारी प्रशिक्षण
खेल अधिकारी जनजाति
खेल अधिकारी महिला
खेल अधिकारी समन्वय

समस्त क्षेत्रीय/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र

(जिला स्तर पर खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकगण नियुक्त हैं)

सहायक अभियन्ता

प्रशासनिक अधिकारी

जनसम्पर्क अधिकारी

प्रभारी पायका प्रकोष्ठ

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

राज्य में स्थित केन्द्रीय/जिला खेलकूद केन्द्रों का पूर्ण पता

अजमेर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल मैदान, अजमेर।
अलवर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, फूल बाग के सामने, मोती बाग, अलवर।
भरतपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, लोहागढ स्टेडियम, भरतपुर
बाडमेर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, आदर्श स्टेडियम, बाडमेर।
बारां	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, द्वारा अवधजी पारीक का मकान, भैरुजी का चौक, तालाबपाड़ा, बारां
भीलवाडा	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, सुखाड़िया स्टेडियम, वाया आटूण, भीलवाड़ा
बीकानेर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर
बांसवाडा	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, खेल स्टेडियम, राजकीय महाविद्यालय के सामने, बांसवाड़ा
बूंदी	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, द्वारा नेहरू युवा केन्द्र, बाहरली, बून्दी
चूरु	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, जिला स्टेडियम, रतनगढ रोड़, चूरु
चित्तौडगढ	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, चित्तौडगढ
डूंगरपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, लक्ष्मण मैदान, डूंगरपुर
धौलपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, द्वारा कोर्ट कम्पाउड, धौलपुर
दौसा	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, राजेश पायलेट स्टेडियम, गुप्तेश्वर रोड़, दौसा।
हनुमानगढ	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, राजीव गांधी स्टेडियम, हनुमानगढ (जंक्शन)
जोधपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, बरकततुल्लाह खां स्टेडियम, जोधपुर

झालावाड	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीमती विजयराने सिंधीया खेल संकूल, झालावाड
झुन्झुनु	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, स्वर्ण जयन्ती स्टेडियम, मंडावा रोड, झुन्झुनु
जालौर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, शाहपूजांजी गेनाजी स्टेडियम, जालौर
जैसलमेर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी स्टेडियम, जैसलमेर
करौली	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, स्वर्गीय त्रिलोकचन्द माथुर स्टेडियम, करौली
कोटा	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, जे.के.लॉन क्रिकेट पैवेलियन, नयापुरा, कोटा
पाली	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, बांगड स्टेडियम, पाली
राजसमन्द	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, गांधी पार्क, कांकरोली, राजसमंद
श्रीगंगानगर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, महाराजा गंगासिंह स्टेडियम, त्रिपुल्ली रोड, श्रीगंगानगर
सीकर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय स्टेडियम, सांवली रोड, सीकर
सवाई माधोपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय शिक्षण संस्थान के पास आकाशवाणी के पीछे, विराटनगर, सवाई माधोपुर
उदयपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, लवकुश स्टेडियम, चेतक सर्किल, उदयपुर
जयपुर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर
सिरोही	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, अरविन्द पैवेलियन, सिरोही
टोंक	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, घण्टाघर के पास, टोंक
नागौर	:	जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर स्टेडियम, नागौर
प्रतापगढ़	:	राजकीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, द्वरियाबाद रोड, प्रतापगढ़

राजरस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

अध्याय-3 (मैनुअल-2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर ।

=====

क्रमांक:- एफ-1/संस्था/1/2002/1561

दिनांक 1-8-2003

कार्यालय आदेश

=====

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की साधारण सभा की बैठक दिनांक 23 जनवरी 2003 के विन्दु संख्या-8 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के कार्य संचालन नियम 'रूल्स आफ बिजनेस' को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है ।


अध्यक्ष

क्रमांक:- एफ-1/संस्था/1/2002/1562-1603

दिनांक 1-8-2003

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- समस्त शीर्षा प्रभारों, राराष्ट्रीय मुख्यालय को "कार्य संचालन नियम की एक प्रति के साथ ।
- 2- समस्त खेल अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान ।
भय नियम की एक प्रति के साथ ।


अध्यक्ष

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की सार्वजनिक सभा की बैठक दिनांक 23 जनवरी 2003
 में अनुमोदित क्रीडा परिषद के कार्य संवाहन नियम - 'RULES OF BUSINESS' की प्रति।

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर

(मुख्यालय)

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	कुल पृष्ठ	पृष्ठ संख्या
1.	संस्थापन शाखा	4	1 से 4
2.	वार्षिक कार्य मूल्यांकन (गोपनीय प्रतिवदिन)	2	5 से 6
3.	लेखा शाखा	3	7 से 9
4.	अनुदान शाखा (खेल संघों से सम्बन्धित)	2	10 से 11
5.	जन सम्पर्क शाखा	3	12 से 14
6.	प्रशिक्षण शाखा	3	15 से 17
7.	महिला शाखा	1	18
8.	ग्रामीण शाखा	1	19
9.	आगार/खेल सामग्री शाखा	1	20
10.	सहायक अभियन्ता (निर्माण शाखा)	1	21
11.	तरणताल विषयक	1	22

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद (मुख्यालय जयपुर)

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की संस्थापन शाखा के सम्बन्धित विषयक:-

क्र.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	संस्थापन शाखा लिपिक/व.लिपिक	कार्यालय सहायक / कार्यालय धीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1	नियुक्तियां						
	(क)खेल अधिकारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	सूचनार्थ
	(ख)खेल प्रशिक्षक (विभिन्न श्रेणी)	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	सूचनार्थ
	(ग)प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रशिक्षक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय एवं आदेश	-
	(घ)प्रतिनियुक्तिपर कार्यरत कर्मचारीगण/अधिकारीगण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय एवं आदेश	-
	(ड)अनुबन्ध पर कार्यरत प्रशिक्षक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	सूचनार्थ
	(च)प्रशासनिक अधिकारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	सूचनार्थ
	(छ)अन्य समस्त कर्मचारीगण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय	-
2	स्थानान्तरण						
	(क)खेल अधिकारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय	-

क्र.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	संस्थापन शाखा लिपिक/व.लिपिक	कार्यालय सहायक / कार्यालय धीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
	(ख)खेल प्रशिक्षक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करे	निर्णायक मत/अनुशाषा एव निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय	
	(ग)प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रशिक्षक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णय मत/अनुशाषा	अन्तिम निर्णय	
	(घ)प्रतिनियुक्तिपर कार्यरत कर्मचारीगण/अधिकारीगण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णय मत/अनुशाषा	अन्तिम निर्णय	
	(ङ)अनुबन्ध पर कार्यरत प्रशिक्षक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णय मत/अनुशाषा	अन्तिम निर्णय	
	(च)प्रशासनिक अधिकारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णय मत/अनुशाषा	अन्तिम निर्णय	
	(छ)चतुर्थ श्रेणी स्तर से लिपिक/ विभिन्न श्रेणी/अधीक्षक तक मंत्रालयिक सहायक कर्मचारी के स्तर के कर्मचारी (स्टेनो व पी.ए. के अतिरिक्त)	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	अन्तिम निर्णय	सूचनाार्थ	
	(ज)सै.नो व पी.ए. व उपरोक्त के अतिरिक्त सभी कर्मचारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशाषा एव पुष्टि उपरान्त कार्यालय आदेश जारी करना	अन्तिम निर्णय	
3	अवकाश						
	समस्त प्रकार के अवकाश स्वीकृति प्रकरण समस्त कर्मचारी के बारे में अन्तिम निर्णय हेतु सचिव तक	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	अन्तिम निर्णय		
4	वेतन निधारण						
	समस्त कर्मचारियों के प्रकरण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित कर,लेखाधिकारी को प्रस्तुत करें	लेखाधिकारी की राय पर अन्तिम निर्णय		
	नोट:-लेखाधिकारी एवं सचिव के मतैक्य न होने पर अर्थात् मत मतान्तर होने पर अन्तिम निर्णय अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाये।						

क्र.स.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	संस्थापन शाखा लिपिक/व.लिपिक	कार्यालय सहायक / कार्यालय धीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
5	वार्षिक वेतन वृद्धि						
	समस्त कर्मचारियों के प्रकरण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	जांच शाखा से अनापत्ति संबंधित टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात ही अपना मत/राय अंकित करेंगे।	अन्तिम निर्णय	-	-
6	चयनित वेतनमान/पदोन्नति						
	(क) प्रशिक्षक एवं खेल अधिकारी के मामले में	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत	अन्तिम निर्णय	सूचनार्थ
	(ख) अन्य समस्त कर्मचारी	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत	अन्तिम निर्णय	-
7	प्रशिक्षण पर प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में समस्त कर्मचारियों के प्रकरण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय	अन्तिम निर्णय	सूचनार्थ	-
8	स्थावीकरण						
	समस्त कर्मचारियों के प्रकरण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	शाखा से अनापत्ति संबंधित टिप्पणी प्राप्त करने के उपरान्त ही अपना मत/राय अंकित करेंगे।	अन्तिम निर्णय	सूचनार्थ	-
9	वरियता						
	समस्त कर्मचारियों के प्रकरण	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशांषा एवं निष्प्रय उपरान्त आदेश जारी करना	निणय	-
10	पेंशन प्रकरण						

समस्त प्रकार के पेंशन प्रकरण प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर डील होने के पश्चात लेखा शाखा एवं लेखाधिकारी द्वारा परीक्षण कर दिये जाने के उपरान्त सचिव, अध्यक्ष महोदय की पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात आदेश जारी करेंगे।

क्र.स.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	संस्थापन शाखा लिपिक/व.लिपिक	कार्यालय सहायक / कार्यालय धीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
11	केडर स्ट्रेन्थ	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	लेखाधिकारी की राय पर अन्तिम निर्णय		
12	जांच प्रकरण						
	(1) निरीक्षण प्रतिवेदनों की लिखित आपत्तियां	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	पुनरावेदन की सुनवाई
	(2) प्राप्त होने वाली शिकायतें	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	
	(3) प्राथमिक जांच	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	
	(4) आरोप पत्र अन्तर्गत नियम 17 व 16	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	
	(5) जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं तदुपरान्त टिप्पणी/मत अंकित करना	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	
	(6) निर्णय	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशाषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश जारी करना	निर्णय	
13.	वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन			गोपनीय प्रकोष्ठ प्रभारी संधारण/पुनर्सूचना एवं सम्पर्क	लेखाधिकारी/सचिव/अध्यक्ष प्रतिवेदक अधिकारी/पुनर्मूल्यांकन अधिकारी		
विशेष	समयावधि सम्बन्धित सारिणी	7 कार्य दिवस	3 कार्य दिवस	7 कार्य दिवस	अधिकतम 15 कार्य दिवस		
		लेखाशाखा-अधिकतम 10 कार्य दिवस					

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर

वार्षिक कार्य मूल्यांकन अर्थात् गोपनीय प्रतिवेदन (ए.सी.आर.)

वैशेष:-

क्र.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	लिपिक	प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी अधिकारी	सचिव
1.	गोपनीय प्रतिवेदन समय पर प्राप्त हो, उस कार्य को सुनिश्चित करना	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	
2.	मोनीटरिंग एवं सुपरविजन	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	
3.	मासिक समीक्षा	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	
4.	विरुद्ध प्रसंगों को सम्बन्धित को सूचित करना एवं उस पर कार्यवाही	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	
5.	उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रशस्ती पत्र जारी करना	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	
6.	पदोन्नति समिति एवं चयन समिति की समयबद्ध सारिणी अनुसार बैठके सुनिश्चित/करवाना/आयोजित करना	पत्रावली प्रस्तुत करना	प्रतिवेदन समय पर प्राप्त करने की कार्यवाही करना	

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

गोपनीय प्रतिवेदनों के रिपोर्टिंग रिव्यूइंग व काउन्टर साइनिंग अधिकारी निम्न प्रकार होंगे

पद नाम	रिपोर्टिंग आफिसर	रिव्यूइंग आफिसर	काउन्टर साइनिंग अधिकारी
1. समस्त कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिक	सम्बन्धित शाखा प्रभारी	सचिव	अध्यक्ष
2. कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक	सम्बन्धित शाखा प्रभारी	सचिव	अध्यक्ष
3. स्टेडियम सुपरवाइजर व प्रशासनिक अधिकारी स्तर से निम्न के सभी नत्रांलयिक कर्मचारी	सम्बन्धित शाखा प्रभारी	सचिव	अध्यक्ष
4. निजी सहायक, सचिव	सचिव	अध्यक्ष	अध्यक्ष
5. निजी सहायक, अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
6. कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार	लेखाधिकारी	सचिव	
7. लेखाधिकारी/सहायक अभियन्ता/जनसम्पर्क अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	
8. प्रशासनिक अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	अध्यक्ष
9. कोचेज- समस्त ग्रेड	सम्बन्धित खेल अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष
10. खेल अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	अध्यक्ष
11. सचिव	अध्यक्ष	अध्यक्ष	

नोट:- जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित खेल अधिकारियों की कार्यदक्षता, क्षमता, चरित्र, व्यवहार आदि के बारे में सम्बन्धित जिलाधीशों से गोपनीय टिप्पणी प्राप्त की जावे

एवं सचिव उन खेल अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों पर अपनी रिपोर्ट करते समय जिलाधीश की टिप्पणी को भी दृष्टिगत रखें।

राजस्थान राज्य कीडा परिषद, जयपुर

लेखा शाखा

क्र.सं.	कार्य प्रयोजन/प्रकरण/विषय	कनिष्ठ लेखाकार	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	साधारण सभा	स्थायी समिति
1.	बजट एवं वित्तीय प्रबन्धन	प्रस्तुतीकरण	समीक्षा, विश्लेषण एवं आंकडे एकत्रित करना(संकलन)	परीक्षण करना एवं टिप्पणी/संकलन की समीक्षा	समन्वय परीक्षण एवं निर्णायक मत, बजट प्रारूप को अन्तिम रूप देना अनुमोदन/ पुष्टि उपरान्त बजट फाइनलाइजेशन कमेटी (बी.एफ.सी.)के समक्ष प्रस्तुत करना	-	संशोधन/ अनुमोदन	संशोधन अनुमोदन तुयनार्थ	प्राथमिक अनुमोदन
2.	राज्य सरकार से प्राप्तियों संबंधित कार्य, प्रकरण	प्रारंभिक टिप्पणी	शीर्षकवार एकीकृत सूचना प्राप्ति उपरान्त टिप्पणी	परीक्षण एवं प्रस्ताव	प्रस्तावों के प्रारूप का अनुमोदन	-	अवलोकन एवं निर्देश	-	-
3.	जिला कीडा परिषदों को अनुदान	प्रारंभिक टिप्पणी	टिप्पणी प्रस्तुत करना	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	पुष्टि उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	निर्णय अंतिम	-	-
4.	स्वेच्छिक संस्थाओं को अनुदान राशि का आवंटन	प्रारंभिक टिप्पणी	टिप्पणी प्रस्तुत करना	परीक्षण उपरान्त आपत्ति/ अनुशंषा	अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश	निर्णय	-	तुयनार्थ
5.	निर्माण/मरम्मत एवं सहायक अभियन्ता शाखा से संबंधित कार्य	प्रा.स्थिति	टिप्पणी प्रस्तुत करना	परीक्षण उपरान्त आपत्ति/ अनुशंषा	अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आदेश	प्रकरण संबंधित अन्तिम निर्णय	-	-

क्र.सं.	कार्य प्रयोजन/प्रकरण/विषय	कनिष्ठ लेखाकार	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	साधारण सभा	स्थायी समिति
6.	रोकड संबंधित समस्त कार्य रोकड पुस्तिका का संधारण लेजर पुस्तिका का संधारण (लेजर पोस्टिंग)	रोकडिये द्वारा संधारण	संधारण	परीक्षण	हस्ताक्षर आकस्मिक निरीक्षण				
7.	सामान्य भविष्य निधि कोष	संधारण	परीक्षण	सुनिश्चितता	हस्ताक्षर आकस्मिक निरीक्षण				
8.	इम्प्रेस्ट लेखे चार्टर्ड अकाउन्टेंट	संधारण	परीक्षण	सुनिश्चितता	हस्ताक्षर आकस्मिक निरीक्षण				
9.	अंकक्षण कार्य	संधारण	परीक्षण एवं आपत्तियों का निराकरण	आपत्तियों के निराकरण पर मत एवं टिप्पणी	अन्तिम निर्णय टिप्पणी				
10.	पेंशन फंड	संधारण	परीक्षण		फंड में निर्धारित राशि समय पर जमा होने की सुनिश्चितता लेखाधिकारी करेंगे	-	सूचनार्थ		
11.	पेंशन संबंधित अन्य समस्त प्रकरण	संधारण	परीक्षण	सुनिश्चितता	निर्णय एवं आदेश जारी करना	-	सूचनार्थ		
12.	वेतन एवं वेतन एरियर संबंधित कार्य (स्थायी/अस्थायी/ अनुबंधित/अंशकालिक)	संधारण	जाच	परीक्षण	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णयात्मक आदेश			
13.	ग्रामीण एवं महिला खेलों के लेखों का जाच कार्य	संधारण	जाच	परीक्षण	निर्णय	-			
14.	खेल संघों को अनुदान एवं लेखों की जाच	संधारण	जाच	परीक्षण	अनुशंषा	निर्णयात्मक आदेश	सूचनार्थ		
15.	भुगतान संबंधित प्रकरण	संधारण	जाच	परीक्षण	अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय		

क.सं.	कार्य प्रयोजन/प्रकरण/विषय	कनिष्ठ लेखाकार	लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	साधारण सभा	स्थायी समिति
16.	प्रशिक्षण शिविरों एवं जिला खेलकूद केन्द्र के लेखा संबंधित	संधारण	जाच	परीक्षण	निर्णयात्मक अनुशंषा	आपत्तिजनक स्थिति पाये जाने	निर्णय		
17.	महालेखाकार के आडिट निरीक्षण	संधारण	जाच	परीक्षण	आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही	आवश्यक टिप्पणी			
18.	बैंक समाधान विवरण			परीक्षण					
19.	महावारी कटौतियां संबंधित राशि के समय पर पोस्टिंग संबंधित	संधारण	परीक्षण	परीक्षण उपरान्त कार्यवाही				९	
20.	अग्रिम राशि की स्वीकृति	संधारण एवं प्रस्तुतीकरण			सचिव की राय के उपरान्त अग्रिम के आदेश	निर्णय	रूखनार्थ		
21.	अग्रिम राशि के लेखों का परीक्षण एवं सामयिक तौर पर समायोजन	संधारण समय पर लेखों के न आने पर पत्राचार किया जावे।	समयबद्ध प्रणाली अनुसार प्राप्त लेखों विवरणों/ वाउचर्स की जाच एवं परीक्षण	बकाया राशि की समय पर वापसी सुनिश्चित करें	प्रति सप्ताह में एक बार परीक्षण/जाच एवं दिशा निर्देश एवं प्रतिमाह बकाया प्रकरण एवं बकाया राशि बाबत प्रतिवेदन सचिव की मार्फत अध्यक्ष को उपलब्ध करवाना	असावधानी बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंषा	कार्यवाही का आदेश		
निशेष:- अंकेक्षण सम्बन्धित आपत्तियों के निराकरण एवं अग्रिम राशि के समायोजन कार्य हेतु लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारीगण/अधिकारीगण ही पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।									
समयावधि सम्बन्धित सारणी:-		7 दिवस	3 दिवस	3 दिवस	अधिकतम 7 दिवस	3 दिवस			

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की खेल अधिकारी (समन्वय) अनुदान शाखा (खेल संघों से सम्बन्धित विषयक)

क.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	अनुदान शाखा क लिपिक	क. लेखाकार	खेल अधिकारी समन्वय	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति	राज्य सरकार
1.	मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों को विभिन्न गतियोगिता हेतु अनुदान	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा	निर्णायक मत/अनुशंषा	निर्णय		
2.	खेल संघों को मान्यता प्रदान एवं निरस्त करने बाबत	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	मत/राय	निर्णय एवं सूचना	
3.	खेल संघों को राज्य सरकार से आर्थिक अनुदान (राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रति. हेतु)	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	अभिशांषा हेतु निर्णय		अन्तिम निर्णय
4.	खिलाडियों के खेल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें					
5.	मान्यता प्राप्त खेल संघों को उपलब्धि/विधि/प्रशासनिक अनुदान	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत	निर्णय		
6.	गैर मान्यता प्राप्त खेल संघों/संस्था एवं अन्य को तदर्थ सहायता	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	अनुशंषा	निर्णय		
7.	खिलाडियों की उपलब्धि पर नगद प्रोत्साहन राशि	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी/पत्रादि का संधारण	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	अनुशंषा	राज्य सरकार को भेजने हेतु अन्तिम अनुशंषा हेतु निर्णय		निर्णय

क्र.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	अनुदान शाखा क लिपिक	क. लेखाकार	खेल अधिकारी सनन्धय	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति	राज्य सरकार
8.	अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को भूमि आवंटन	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी/ पत्रादि का संधारण	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा	राज्य सरकार को भेजने हेतु अन्तिम अनुशंषा हेतु निर्णय		निर्णय
9.	अनुदान नियमों में संशोधन/परिवर्तन	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी/ पत्रादि का संधारण	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा	अन्तिम निर्णय करने हेतु स्थायी समिति में निर्णयार्थ पेश	अन्तिम निर्णय साधारण सभा	
10.	जिला कीडा परिषदों का गठन	संबंधित पत्रादि का संधारण	टिप्पणी	मत/राय अंकित करें	मत/राय अंकित करें	निर्णायक मत/अनुशंषा	अभिशांषा हेतु निर्णय		अन्तिम निर्णय
	समयावधि सारणी-	7 दिन	3 दिन	3 दिन	7 दिन				

राजस्थान राज्य कीडा परिषद, जयपुर

जनसम्पर्क शाखा

क.सं.	विषय	संबंधित लिपिक	जनसम्पर्क अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1.	जनसम्पर्क शाखा से संधारित सनस्त कार्य	संधारण	प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा सचिव एवं अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	अनुशंषा संबंधित औचित्यता का परीक्षण	जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अवलोकनार्थ व सूचनार्थ प्रस्तुत सूचनाओं का अवलोकन एवं अभीनत अंकित कर, निर्देशार्थ अध्यक्ष महोदय को अभिशंषा सहित प्रस्तुत करना	जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अवलोकनार्थ व सूचनार्थ प्रस्तुत सूचनाओं का अवलोकन एवं वांछित निर्देश	
2.	सनाचार पत्रों के एवं पुस्तकों के बिलों का भुगतान	संधारण	टिप्पणी	परीक्षण एवं राय सचिव को प्रेषित करना	निर्णयात्मक टिप्पणी	निर्णय	
3.	विज्ञापन व निविदा जारी करना	संधारण					
4.	विज्ञापन बिलों का भुगतान	संधारण					
5.	फोटो बिलों का भुगतान	संधारण					
6.	प्रेस विज्ञापित तैयार कर भिजवाना	संधारण	सचिव को अवलोकनार्थ प्रेषित करना एवं यदि कोई राय हो तो अंकित करना		जनसम्पर्क अधिकारी की राय पर टिप्पणी सहित अध्यक्ष को प्रेषित करना	अवलोकनार्थ एवं वांछित निर्देश	
7.	समाचार पत्र पत्रिकाएँ कय आदेश	संधारण एवं आदेश के लिये प्रस्तुत करना	टिप्पणी सहित सचिव को प्रेषित करना		निर्देशार्थ अध्यक्ष महोदय को अभिशंषा सहित प्रस्तुत करना	वांछित निर्देश	

क्र.सं.	विषय	संबंधित लिपिक	जनसम्पर्क अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी सनिति.
8.	प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार व प्रकाशित करवाना	संधारण	प्रारूप तैयार कर सचिव को प्रस्तुत करना		अवलोकन एवं निर्देशार्थ अध्यक्ष महोदय को अभिरांषा सहित प्रस्तुत करना	अवलोकन एवं प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देना	
9.	सनाचार पत्रों की खेल कतरनों से राजस्थान के राष्ट्रीय खिलाडियों की उपलब्धि के रिकार्ड का संधारण	संधारण	सचिव एवं अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना		अवलोकन	अवलोकन एवं आवश्यक निर्देश	
10.	अध्यक्ष व सचिव महोदय के शुभकानना संदेश तैयार कर भिजवाना	संधारण एवं प्रारूप प्रस्तुत करना	प्रारूप को आवश्यक संशोधन सहित हस्ताक्षरार्थ सचिव/अध्यक्ष को प्रस्तुत करना		हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
विशेष:-	समयावधि सारिणी	7 दिन	3 दिन		5 दिन	६	

नोट:- जहाँ कार्य का निष्पादन उसी दिन आवश्यक है, वह सनी स्तरों पर उसी दिन निपटाया जावे। कार्य विशेष के निष्पादन की अवधि के लिये अध्यक्ष/सचिव के निर्देशों का पालन किया जावेगा।

क्र.सं.	विषय	संबंधित लिपिक	जनसम्पर्क अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी सनिति
<u>पुस्तकालय</u>							
1.	पुस्तकालय संबंधित सनस्त कार्य	संधारण	प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा सचिव एवं अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	अनुशाषा संबंधित आंचित्यता का परीक्षण	जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अवलोकनार्थ व सूचनार्थ प्रस्तुत सूचनाओं का अवलोकन एवं अभीनत अंकित कर, निर्देशार्थ अध्यक्ष महोदय को अनिशंषा सहित प्रस्तुत करना	जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा अवलोकनार्थ व सूचनार्थ प्रस्तुत सूचनाओं का अवलोकन एवं वांछित निर्देश	
2.	पुस्तकें क्रय आदेश	संधारण एवं आदेश हेतु प्रस्तुत करना	टिप्पणी सहित सचिव को प्रस्तुत करना		निर्देशार्थ अध्यक्ष महोदय को अभिशंषा सहित प्रस्तुत करना	वांछित निर्देश	
3.	पुस्तकें प्राप्ति बाद स्टोक प्रविष्टि व बिलों का भुगतान	संधारण	आवश्यक निर्देश				
4.	पत्र पत्रिकाएँ अवदान व वापिसी जना करना	संधारण	आवश्यक निर्देश				
5.	पुस्तकें अवदान व वापिसी जना करना	संधारण	आवश्यक निर्देश				

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर

प्रशिक्षण शाखा

६

क.सं.	कार्य/प्रयोजन/प्रकरण/विषय	लिपिक	संबंधित अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1.	जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शिदिर एवं प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
2.	महाराणा प्रताप पुरस्कार/वशिष्ठ पुरस्कार अन्य पुरस्कारों संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
3.	केंद्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन संबंधी कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
4.	कॉलेज/स्कूल एवं अन्य संस्थाओं की मांग पर प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
5.	राजस्थान में पदस्थापित प्रशिक्षकों (परिषद) के मासिक प्रतिवेदन संबंधी समस्त कार्यवाही	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
6.	प्रशिक्षकों के शारीरिक दक्षता संबंधित सम्पूर्ण कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
7.	समस्त खेल अधिकारियों से प्रतिमाह मासिक निरीक्षण संबंधी कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	सूचनार्थ	

क्र.सं.	कार्य/प्रयोजन/प्रकरण/विषय	लिपिक	संबंधित अधिकारी	लेखाधिकारी	सूचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
8.	अल्पकालीन प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
9.	अल्पकालीन प्रशिक्षकों के भुगतान संबंधित समस्त कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
10.	ग्रीष्मकालीन अवकाश में समस्त जिला मुख्यालयों पर ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाना	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
11.	ग्रीष्मकालीन शिविरों हेतु भेजी गई अग्रिम राशियों का समायोजन संबंधित समस्त कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
12.	दीपावली अवकाश में सभी जिला मुख्यालयों पर शीतकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
13.	जिला स्तर स्कूली प्रतियोगिता का आयोजन संबंधित कार्य एवं प्रतियोगिता हेतु भेजी गई राशियों का समायोजन संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	सूचनार्थ	
14.	जिला स्तर पर शा. शिक्षकों का सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	

क.सं.	कार्य/प्रयोजन/प्रकरण/विषय	लिपिक	संबंधित अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
15.	जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त पंचायत स्तर/ग्रामीण/जनजाति क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन एवं प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
16.	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
17.	परिषद के प्रशिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
18.	जैसलमेर/जयपुर होस्टल की चयनप्रक्रिया संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
19.	खेल.अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
20.	अनुबन्ध प्रशिक्षकों के मासिक रिपोर्ट संबंधित कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण	निर्णायक टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
विशेष:	समयावधि सम्बंधित सारिणी:-	7 कार्य दिवस	3 कार्य दिवस	5 कार्य दिवस	अधिकतम 10 दिन		

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर

महिला शाखा

क्र.सं.	कार्य प्रयोजन/प्रकरण	क.लिपिक	खेल अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1.	पंचायत समितियों में महिला खेलकूद का आयोजन	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
2.	जिला स्तरीय	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
3.	राज्य स्तरीय	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
4.	राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
5.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की चयनित टीमों भेजना	प्रस्तुत	अनुशंषा	-	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
6.	उपरोक्त प्रतियोगिताओं के लिये राशि अग्रिम स्वीकृति	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णय		
7.	अग्रिम राशि के लेखों का समायोजन	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त निर्णय	सूचनार्थ		
8.	महिला-खेलों के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करना	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	

नोट:- (1) खेल अधिकारी (महिला) द्वारा पाब्लिक रूप से शाखा की कार्य प्रगति के बारे में सचिव एवं अध्यक्ष को सूचित करना तथा महीने में एक बार लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

(2) महिला शाखा प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रस्तुत लेखा विवरण एवं बकाया राशि का समायोजन यदि 15 दिवस में लेखा शाखा द्वारा किन्ही कारणों से नहीं किया जाता है तो लेखाधिकारी/सचिव एवं अध्यक्ष महोदय को लिखित में

ध्यान आकर्षित करना एवं जिन कारणों से समायोजन नहीं हो रहा है उनका निराकरण करवाना ।

राजस्थान राज्य कीडा पंरिषद, जयपुर

६

ग्रामीण शाखा

क्र.सं.	कार्य प्रयोजन/प्रकरण	क.लिपिक	खेल अधिकारी	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1.	पंचायत समितियों में ग्रामीण खेलकूद का आयोजन	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
2.	जिला स्तरीय	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
3.	राज्य स्तरीय	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
5.	राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की चयनित टीम भेजना	प्रस्तुत	अनुशंषा	-	निर्णयात्मक अनुशंषा	निर्णय	
6.	केंद्रीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	प्रस्तुत करना	टिप्पणी व अनुशंषा	परीक्षण कर अनुशंषा	निर्णयात्मक टिप्पणी	निर्णय	
7.	उपरोक्त प्रतियोगियों हेतु अग्रिम राशि स्वीकृत कर भेजना	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त अनुशंषा	निर्णय	सूचनार्थ	
8.	अग्रिम राशि का समायोजन	प्रस्तुत	अनुशंषा	परीक्षण उपरान्त निर्णय	सूचनार्थ		
9.	पंचायत समितियों में ग्रामीण खेलकूद केंद्रों की स्थापना	प्रस्तुत करना	टिप्पणी व अनुशंषा	परीक्षण कर अनुशंषा	निर्णयात्मक टिप्पणी	निर्णय	
नोट:-	समयावधि	7 दिन	3 दिन	7 दिन	3 दिन		

६

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की आगार खेल सामग्री शाखा से सम्बन्धित विषयक:-

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद की आगार खेल सामग्री शाखा से सम्बन्धित विषयक:-

क्र.सं.	विषय/प्रकार/प्रकरण	आगार शाखा आगार रक्षक (लिपिक)	आगार प्रभारी (प्रभारी अधिकारी)	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1	खेल उपकरण क्रय	संबंधित पत्रादि.पत्रावली रेकार्ड का संधारण टिप्पणी	टिप्पणी	मत/राय	निर्णायक मत/अनुशाषा एव निर्णय उपरान्त समिति गठन के आदेश जारी करना	निर्णय	
2	खेल उपकरण,जिला प्रशिक्षण केन्द्रों को आवंटन	संबंधित पत्रादि.पत्रावली रेकार्ड का संधारण टिप्पणी	निर्णय		सूचनार्थ		
3	प्रशिक्षण शिविरों के लिये सामग्री अवदान	संबंधित पत्रादि.पत्रावली रेकार्ड का संधारण टिप्पणी	निर्णय		सूचनार्थ		
4	जिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध अनुपयोगी/नकारा सामग्री का निस्तारण	संबंधित पत्रादि.पत्रावली रेकार्ड का संधारण टिप्पणी	टिप्पणी	मत/राय	अनुशाषा एव निर्णय उपरान्त, समिति गठन के आदेश जारी करना	निर्णय	
5	जिला प्रशिक्षण केन्द्रों को अग्रिम एव अग्रिम का समायोजन	संबंधित पत्रादि.पत्रावली रेकार्ड का संधारण टिप्पणी	निर्णय	मत/राय	निर्णय हेतु अनुशाषा	स्वीकृति का निर्णय/समायोजन के आदेश	
नोट:-	समयावधि	7 दिवस	3 दिवस	3 दिवस	3 दिवस		

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

सहायक अभियन्ता (निर्माण शाखा)

क्र.सं.	कार्य/प्रयोजन/प्रकरण/विषय	लिपिक/स्टेडियम/ सुपरवाइजर	संबंधित अधिकारी, सहायक अभियन्ता	लेखाधिकारी/सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
1.	केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की योजना अनुसार प्रस्तावों (खेल मैदानों, स्टेडियमों व अन्य सुविधाओं) की जांच कर राज्य सरकार को भिजवाना।	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
2.	राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्माण कार्यो आदि का अनुदान स्वीकृतियों का भुगतान करना व यू.सी./पी.आर. मंगवाना/प्राप्त करना	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
3.	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के मैदानों, स्टेडियमों, हॉस्टलों एवं अन्य सुविधाओं आदि का निर्माण करवाना	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
4.	स.ना.स्टेडियम के खेल मैदानों, विभिन्न खेल संरचनाओं एवं अन्य स्टेडियमों के विकास व रख-रखाव आदि का कार्य	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
5.	विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों हेतु खेल सुविधाओं की व्यवस्था करना	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
6.	स.ना.स्टेडियम के खेल मैदानों, स्टेडियमों को विविध संस्थाओं को खेल प्रतियोगिताओं हेतु आवंटन संबंधी कार्य	संधारण	निर्णायक टिप्पणी	अनुशांषा एवं अनुमोदन उपरान्त कार्यालय आदेश	अनुमोदन	
नोट:-	समयावधि	7 कार्य दिवस	3 कार्य दिवस	7 कार्य दिवस		

राजस्थान राज्य कीडा परिषद

राजस्थान राज्य कीडा परिषद के तरणताल सन्बधी विषेयक:-

क्र.सं.	विषय/प्रसंग/प्रकरण	तरणताल लिपिक	प्रभारी अधिकारी तरणताल	लेखाधिकारी	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी सनिति
1.	तरणताल संचालन एवं रख-रखाव	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण टिप्पणी	टिप्पणी	नत/राय	निर्णायक नत/अनुशंषा एवं निर्णय उपरान्त आवश्यक निर्देश	निर्णय	
2.	तरणताल संबंधी आवश्यक कार्य	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण टिप्पणी	टिप्पणी	नत/राय	निर्णायक नत/ अनुशंषा	निर्णय	
3.	तरणताल आवंटन	संबंधित पत्रादि, पत्रावली का संधारण टिप्पणी	टिप्पणी	नत/राय	निर्णायक नत/ अनुशंषा	निर्णय	
नोट:-	तरणताल विषयक कार्यों के निपटारे हेतु सभी स्तरों पर कार्यवाही के लिये अधिकतम 3 कार्य दिवस पर्याप्त है।						

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

प्रधान कार्यालय : सवाई मानसिंह स्टेडियम, अमर जवान ज्योति, जनपथ, जयपुर

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के अन्तर्गत नियुक्ति, अनुशासन, अपील एवं समीक्षा हेतु सक्षम अधिकारी

क्र.सं.	मद का वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
1	सचिव	राजस्थान सेवा का अधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर			
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी	राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर			
3	सहायक अभियंता	राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर			
4	खेल अधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
5	प्रशासनिक अधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
6	जन सम्पर्क अधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
7	खेल प्रबंधक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
8	वरिष्ठ निजी सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
9	प्रबंधक खेल छात्रावास	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
10	निजी सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
11	कार्यालय अधीक्षक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
12	लेखाकार	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
13	स्टेडियम सुपरवाइजर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
14	होस्टल सुपरवाइजर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
15	कनिष्ठ लेखाकार	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
16	प्रशिक्षक ग्रेड प्रथम	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
17	प्रशिक्षक ग्रेड द्वितीय	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
18	प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
19	कार्यालय सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा

20	स्टेनो ग्राफर	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
21	पुस्तकालय सहायक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
22	वरिष्ठ लिपिक	अध्यक्ष	अध्यक्ष	स्थायी समिति	साधारण सभा
23	कनिष्ठ लिपिक	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
24	कैशियर	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
25	स्टोर कीपर	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
26	वाहन चालक	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
27	रसोईया	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
28	सुरक्षा गार्ड	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
29	जमादार	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
30	गेम्सबॉय	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
31	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
32	किचिन बॉय	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
33	सफाई कर्मचारी	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
34	इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
35	पम्प अटेन्डेंट	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति
36	चौकीदार	सचिव	सचिव	अध्यक्ष	स्थायी समिति

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पद्धति :-

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	ग्रेड पे	वेतनमान कमांक	प्रतिवेदन अधिकारी	समीक्षक अधिकारी
1	सचिव	37400-67000 (PB-4)	8700	22	अध्यक्ष	प्रशासनिक विभाग
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600-39100 (PB-3)	6600	17	सचिव	वित्त विभाग
3	सहायक अभियंता	15600-39100 (PB-2)	5400	15	सचिव	पैतृक विभाग
4	खेल अधिकारी	15600-39100 (PB-2)	5400	15	सचिव	अध्यक्ष
5	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800 (PB-2)	4200	13	सचिव	अध्यक्ष
6	जन सम्पर्क अधिकारी	9300-34800 (PB-2)	4200	13	सचिव	अध्यक्ष
7	खेल प्रबंधक	15600-39100 (PB-2)	5400	15	सचिव	अध्यक्ष
8	वरिष्ठ निजी सहायक	9300-34800 (PB-2)	4200	13	सचिव	अध्यक्ष
9	प्रबंधक खेल छात्रावास	9300-34800 (PB-2)	4200	13	सचिव	अध्यक्ष
10	निजी सहायक	9300-34800 (PB-2)	3600	12	सचिव	अध्यक्ष
11	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800 (PB-2)	3600	12	सचिव	अध्यक्ष
12	लेखाकार	9300-34800 (PB-2)	3600	12	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सचिव
13	स्टेडियम सुपरवाइजर	9300-34800 (PB-2)	3600	12	सहायक अभियंता	सचिव
14	होस्टल सुपरवाइजर	9300-34800 (PB-2)	3600	12	प्रबंधक	सचिव
15	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800 (PB-2)	3200	11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सचिव
16	प्रशिक्षक ग्रेड प्रथम	9300-34800 (PB-2)	4200	13	खेल अधिकारी	सचिव
17	प्रशिक्षक ग्रेड द्वितीय	9300-34800 (PB-2)	3600	12	खेल अधिकारी	सचिव
18	प्रशिक्षक ग्रेड तृतीय	9300-34800 (PB-2)	3200	11	खेल अधिकारी	सचिव
19	कार्यालय सहायक	9300-34800 (PB-2)	3200	11	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव
20	स्टेनो ग्राफर	9300-34800 (PB-2)	3200	11	प्रशासनिक अधिकारी	सचिव
21	पुस्तकालय सहायक	5200-20200 (PB-1)	2400	09	जनसम्पर्क अधिकारी	सचिव
22	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200 (PB-1)	2400	09	जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत	सचिव
23	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200 (PB-1)	1900	06	जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत	सचिव

24	कैशियर	5200-20200 (PB-1)	1900	06	जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत	सचिव
25	स्टोर कीपर	5200-20200 (PB-1)	1900	06	जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत	सचिव
26	वाहन चालक	5200-20200 (PB-1)	1900	06	जिस अधिकारी के अधीनस्थ कार्यरत	सचिव
27	रसोईया	5200-20200 (PB-1)	1900	06	प्रबंधक	सचिव
28	सुरक्षा गार्ड	4750-7440	1650		प्रबंधक	सचिव
29	जमादार	4750-7440	1400		—	सचिव
30	गेम्सबॉय	4750-7440	1400		—	सचिव
31	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750-7440	1300	01	—	सचिव
32	किचिन बॉय	4750-7440	1400		—	सचिव
33	सफाई कर्मचारी	4750-7440	1300	01	—	सचिव
34	इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर	5200-20200 (PB-1)	1900	06	सहायक अभियंता	सचिव
35	पम्प अटेन्डेंट	4750-7440	1650		—	सचिव
36	चौकीदार	4750-7440	1300	01	—	सचिव